राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 2048 / 2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चिमाराम पुत्र पुरखाराम 2 पूरो पत्नी पुरखराम जाति जाट निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाडमेर।		1 मांगीलाल पुत्र भीखाराम 2 अणछी पत्नी भीखाराम 3 भेराराम पुत्र केसराराम 4 मगी पत्नी केसराराम 5 ठाकराराम 6 मोटाराम 7 दमाराम 8 हरूराराम 9 हिमथाराम पिसरान हुकमाराम 10 जसाराम पुत्र जेठाराम 11 मूली पत्नी जेठाराम जाति जाट निवासी कुर्जा 12 रूमालनाथ पुत्र गुलाबनाथ जाति जोगी निवासी कुर्जा 13 मदनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्र कॉलानी बाडमेर 14 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :- 1 श्री वीरमाराम चौधरी वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 10.11.2017

संक्षिप्त में प्रार्थीयान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कुर्जा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 103/1 वर्तमान खसरा संख्या 266/103 रकबा 63.00 बीघा एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 265/103 रकबा 67.16 बीघा की आई हुई है। प्रार्थीगण के पूर्वज मंगनाराम व पूरखाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 11 के पूर्वज नाथाराम से जरिये रजिस्टर्ड बेचान खसरा संख्या 103 रकबा 130.16 बीघा में से 63.00 बीघा भूमि क्रय की थी। बाद क्रय–विक्रय दस्तावेज के आधार पर खसरा संख्या 103/1 रकबा 63.00 बीघा कायम किया गया तथा बाद नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम की गई। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 103/1 वर्तमान खसरा संख्या 266/103 की लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा भूलवश लठ्ठा ट्रेस में कम तरमीम की गई और बेचान कर्ता नाथाराम के खेत खसरा संख्या 103 की तरमीम उसके रकबे 67.16 बीघा से अधिक कर दी गई। उक्त तरमीम दूरूस्त करवाने हेतु ओवदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकरतफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रकरण में मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./2017/1104 दिनांक 20.03.2017 द्वारा मौके व रेकर्ड अनुसार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम तथा मौके पर कब्जे काश्त एवं अभिलेख में भिन्नता पाई गई। रकबा बरारी करने पर यह पाया गया कि लठ्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 265/103 की तरमीम 72.16 बीघा पाई गई, जबकि जमाबन्दी में उक्त भूमि का रकबा 67.16 बीघा है। लठ्ठा ट्रेस में 05.00 बीघा भूमि

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

...बन्दी मे अंकित रकबे से अधिक पाई गई। इसी प्रकार खसरा संख्या 266/103 की लठ्ठा ट्रेस में तरमीम 58.00 बीघा पाई गई, जबकि जमाबन्दी में इसका रकबा 63.00 बीघा अंकित है। इस प्रकार खसरा संख्या 266/103 व 265/103 के मध्य लठ्ठा ट्रेस में अंकित रेखा को 'ए' से 'बी' दर्शाया गया है, जो गलत है। रकबा बरारी के अनुसार 'ए' से 'बी' रेखा को लठ्ठा ट्रेस से हटाकर 'सी' से 'डी' रेखा कायम करनी अपेक्षित है, ऐसा करने से खसरा संख्या 265/103 व 266/103 का रकबा जमबान्दी में अंकित रकबे के अनुसार हो जावेगा। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तरमीम दुरूस्ती की अभिशंसा की गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यो, तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा संख्या 266/103 व 265/103 के मध्य लठ्ठा ट्रेस में अंकित रेखा को 'ए' से 'बी' दर्शाया गया है, जो गलत है। रकबा बरारी के अनुसार 'ए' से 'बी' रेखा को लठ्ठा ट्रेस से हटाकर 'सी' से 'डी' रेखा कायम करनी अपेक्षित है, ऐसा करने से खसरा संख्या 265/103 व 266/103 का रकबा जमबान्दी में अंकित रकबे के अनुसार हो जावेगा। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तदनुसार नक्शा तैयार कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया है। आवेदन में अंकित तथ्यो एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कुर्जा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 266/103 व खसरा संख्या 265/103 की पूर्व की लठ्ठा ट्रेस की तरमीम संलग्न नक्शा में 'ए' से 'बी' दर्शाई गई है, को निरस्त की जाकर नक्शा में अंकित 'सी' से 'डी' रेखा कायम की जाती है। प्रतिवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'स' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर 'सी' से 'डी' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करे।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 10.11.2017 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाडमेर

Scanned by CamScanner